न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र प्रभु
2. हंसोबाई
3. रज्जोबाई
4. भमरो
5. कमरबाई — पुत्रियां प्रभु — जातियान मीना निवासीयान सुक्कापुरा, तहसील मासलपुर जिला करौली
6. साबूती
7. भरतबाई
8. हल्की
9. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मासलपुर — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 बीघा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 बीघा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 244, किस्म तालाबी–2 द्वारा श्री प्रभु पुत्र परसादी जाति मीना निवासी सुक्कापुरा के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में उपरोक्त भूमि भरतलाल पुत्र प्रभु, हंसोबाई, रज्जोबाई, भमरो, कमरबाई, साबूती, भरतबाई, हल्की, पुत्रियां प्रभु राहिन बी.ओ.बी. मासलपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 बीघा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. पोखर दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2059–62, 2067–70, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 244 दिनांक 27.02.1970, 677 / 28.10.1977 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नोटिस जिस तरह तहरीर किया गया है गलत है और स्वीकार नही है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित जमीन कभी पोखर नहीं रही है। तहसीलदार द्वारा जमाबंदी सं. 2015 को पेश की है सम्वत् 2015 सन् 1958 का है जब कि तहसीलदार के स्वयं के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.1947 के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार आदेश किया जाना है। दिनांक 15.08.1947 का कोई रिकॉर्ड तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया

है। विवादित जमीन सिवायचक काश्ता थी जिस पर हम प्रार्थीगण जबावदारान् अपने बुजुर्गो के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है श्रीमान् उपजिला कलक्टर महोदय द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर हमारे हक में नियमन किया गया है जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या को हमारे हक में खोला गया है और उसी समय से विवादित जमीन पर जबावदारान् वहैसियत खातेदार काबिज है। नामांतरकरण संख्या में गैर खातेदारी से खातेदारी का खोला गया है। हमारा बदस्तूर कब्जा बुजुर्गो के समय से चला आ रहा है। विवादित जमीन कभी पोखर नही रही है। काश्ता जमीन है। जबावदारान् गरीब काश्ता पेशा है और विवादित जमीन को काश्ता योग्य बनाने में लाखों रूपया कर चुके है और जमीन पर काश्त कर पालन कर रहे है। आय का स्त्रोत एक मात्र विवादित जमीन ही है। स्वयं उप जिला कलक्टर साहब द्वारा मौका व रिकॉर्ड को देखकर नियमन किया गया है तथा हमारे कब्जे के आधार पर हमारे खातेदारी हकूक दिये गये है जिसका पूर्ण ज्ञान लैण्ड होल्डर तहसीलदार को रहा है। इतने दिनों तक तहसीलदार साहब क्यों चुप रहे इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी बैंक के पक्ष में रहन रखी हुई है जिसमें बैंक के हित निहित हैं। अंत में बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 बीघा गै.मु. पोखर दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 244 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 किस्म बारानी–3 श्री प्रभु पुत्र परसादी जाति मीना निवासी सुक्कापुरा के नाम आवंटन होकर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 258 में भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 4–01 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. पोखर दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:20:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: